न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 53/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 30.6.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. गजराज सिंह दत्तक पुत्र सोसर सिंह जाति राजपूत
2. महताब सिंह दौलतसिंह जाति राजपूत
3. जोराव बाई पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत
4. सुरताज बाई पुत्री दौलतसिंह जाति राजपूत
5. सज्जनबाई पुत्री दौलतसिंह जाति राजपूत
6. महताब बाई पुत्री दौलतसिंह जाति राजपूत
7. उछब बाई पुत्री दौलत सिंह जाति राजपूत
8. गुलाब बाई बेवा दौलत सिंह जाति राजपूत
9. शोराज सिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत
10. भरत सिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत
11. चतर सिंह पुत्र दौलत सिंह जाति राजपूत
12. गजराज सिंह निवासीगण ग्राम देवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

...अपीलाट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कल्याण सिंह राजावत अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 23.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 285/06 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान राजेन्द्र सिंह वगेरा बनाम सरकार मे पारित निर्णय 8.2.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की भूमि कुल किता 5 रकबा 5.67 है0 ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा मे स्थित है जिसके सेटलमेंट से पूर्व किता 4 कुल

रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा था। रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा के हैक्टेयर 5.97 बनते है जबकि सेटलमेंट के बाद केवल 5.67 दर्ज किये तथा केचमेंट का कार्य जारी है अतः कमी रकबे 0.30 है0 की पूर्ति की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा कमी रकबा किस खसरा नम्बर मे दर्ज हुआ है बताने मे असफल रहने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 8.2.2016 से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे अपीलांट के कुछ खसरा नम्बर मे रकबा ज्यादा होना एवं कुछ खसरा नम्बर मे रकबा कम दर्ज होना वर्णित करते हुये खसरा नम्बर 720 मे से 0.18 ऐयर भूमि अपीलांट के खाते मे दिया जाना वर्णित किया है ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकार्ड के आधार पर स्पष्ट थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 8.2.2016 अपास्त किया जावे तथा पेशकर्दा रिपोर्ट मौके के अनुसार ख0 नं0 720 रकबा 0.18 है0 भूमि अपीलांट को दिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे कमी रकबे की पूति ख0 नं0 720 से 0.18 है0 किया जाना स्पष्ट वर्णित किया है यदि पटवारी की रिपोर्ट मे किसी प्रकार की कमी थी तो अधीनस्थ न्यायालय को सवंधित तहसीलदार से दुबारा रिकार्ड के आधार पर रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी। पक्षकार के पास राजस्व रेकार्ड नही रहता है ऐसी स्थिति मे पक्षकार कैसे बता सकता है। अपीलार्थी अपने कमी रकबे की पूर्ति कराने का वैधानिक अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर सभी तथ्य उपलब्ध थे जिन पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज करने मे त्रुटि की प्रकरण रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थना पत्र को कमी रकबा किस खसरा नम्बर मे दर्ज हुआ है बताने मे असफल रहने से निर्णय दिनांक 8.2.2016 से खारिज किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे ख0 नं0 720 मे से रकबा 0.18 है0 अपीलार्थी को दिया जाना स्पष्ट वर्णित किया था। यदि पटवारी रिपोर्ट मे किसी प्रकार की कमी थी तो अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से पुनः मुताबिक रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिये था। अपीलार्थी के पास राजस्व रिकार्ड नही रहता है ऐसी स्थिति मे कमी रकबा किस रकबे मे अधिक हुआ अपीलार्थी नही बता सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2025–28, रिपोर्ट पटवारी इत्यादि के अवलोकन से प्रकट होता है कि सेटलमेट से पूर्व कुल किता 4 रकबा 36 बीघा 16 भूमि शामलाती खाते मे दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेंट किता 5 रकबा 5.67 है0 मुताबिक जमाबंदी ग्राम देवली मच्छियान सं0 2057–60 अनुसार दर्ज किया गया है। अपीलार्थी का प्रकरण मे कथन है, कि गत रकबे के मुकाबले उसका 0.30 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है जिसे अपीलार्थी पूर्ति कराने का वैधानिक अधिकारी है। पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट मे कमी रकबा 0.22 है0 होना वर्णित है किन्तु तहसील रिपोर्ट मे कमी रकबा किस खसरा नम्बर मे बेशी दर्ज हुआ है स्पष्ट नही होने के कारण व प्रार्थीगण/अपीलार्थी अपना पक्ष सिद्ध करने मे असफल रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को जेरअपील निर्णय दिनांक 8.2.2016 को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का उक्त कारण

न्यायोचित नही है क्योंकि तहसीलदार लेण्ड होल्डर (भू स्वामी) होता है एंव भूमि से संबधी समस्त रिकार्ड उसके द्वारा समय समय पर संधारित व आदिनांक पूर्ण किये जाते है ऐसी स्थिति मे तहसील रिपोर्ट अस्पष्ट थी तो अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक राजस्व रिकार्ड तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये प्रकरण मे विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करना उचित था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.2.2016 को न्यायोचित नही माना जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 8.2.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये तहसीलदार लाडपुरा से प्रकरण मे मुताबिक राजस्व रिकार्ड वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर नये पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा, मिलान क्षेत्रफल आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा